

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण  
रणजीतसिंह पुत्र चिमनसिंह  
जाति रावणा राजपूत तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2026/32  
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
08/01 26	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम बाली स्थित भूमि खसरा नंबर 2631/1 कुल रकबा 1,4000 हैक्टर किस्म बारानी अब्बल कुल लगान 9.8000 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, बाली एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



सहायक कलक्टर एवं पदेन्  
सहायक उपखण्ड अधिकारी, बाली  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बगुकदमें इब्तादाई  
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)  
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण  
रणजीतसिंह पुत्र घिमनसिंह  
जाति रावणा राजपूत तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली


किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2026/3 2  
वाद' अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिब मुद्ई व ..... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार ग्राम बाली स्थित भूमि खसरा नंबर 2631/1 कुल रकबा 1.4000 हैक्टर किस्म बारानी अच्चल कुल लगान 9.8000 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, बाली एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08/01/26 को जारी की गई



(दिनेश विश्नोई)  
सहायक कलक्टर एवं पदेन्  
उपखण्ड अधिकारी, बाली



राजेश  
विक्रमसिंह

2674 → रणजीतसिंह जी

2631/1 → विक्रमसिंह जी Scale 1:2000

खसरा संख्या : 2631/1 क्षेत्रफल : 1.4000 Hectare खाता संख्या : 735 पुराना खाता संख्या : 726  
भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बारानी अक्वल [ 1.4000, 9.80 ]

- 1.) रणजीतसिंह पुत्र चिमनसिंह हिस्सा- 1/3 जाति- रावणाराजपुत सा. देह खातेदार
- 2.) विक्रमसिंह पुत्र चिमनसिंह हिस्सा- 1/3 जाति- रावणाराजपुत सा. देह खातेदार
- 3.) सुरेन्द्रसिंह पुत्र चिमनसिंह हिस्सा- 1/3 जाति- रावणाराजपुत सा. देह खातेदार

→ सुरेन्द्रसिंह जी

← आमलाति यत्ने हेतु

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

*(Handwritten signature)*

21

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
  2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
  3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

*(Handwritten signature)*  
पटवारी (भू.अ.)  
पटवार मण्डल...  
तह. बाली, जिला-पाली

तहसीलदार (भू.अ.) बाली